रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97

REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 68] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 3, 1998/फाल्गुन 12, 1919
No. 68] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 3, 1998/PHALGUNA 12, 1919

महानिदेशक (रक्षोपाय) का कार्यालय

सूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 1998

रक्षोपाय जाँच शुरू करने के लिए

(सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और निर्धारण नियमावली-1997) के नियम 6 के अधीन)

विषय :— प्रोपइलिन ग्लाइकोल के भारत में आयात से संबंधित रक्षोपाय जाँच शुरू करने संबंधी।

सा. का. नि. 108 (अ).— भारत में प्रोपाइलिन ग्लाइकोल के वर्धित आयात से प्रोपेइलिन ग्लाइकोन के घरेलू उत्पादकों को होने वाली गम्भीर क्षति से बचाने के लिए मै. मनाली पैट्रोकेमिकल्स लि० चैन्नई और मै० एसपीआईसी आर्गेनिक्स लिमिटेड, चैन्नई ने प्रोपाइलिन ग्लाइकोल के आयात पर रक्षोपाय शुल्क की पहचान और निर्धारण नियमावली 1997 के नियम 5 के अधीन मेरे समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. घरेलू उद्योग :— मै० मनाली पैट्रोकेमिकल्स लिमिटेड चैन्नई और मै० एस पी आई सी आर्गेनिक्स लिमिटेड चैन्नई के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है जो कि प्रोपाइलिन ग्लाइकोल के कुल घरेलू उत्पाद का उत्पादन करते हैं।

3. संबद्ध उत्पाद :— आवेदकों ने प्रोपाइलिन के भारत में वर्धित आयात से घरेलू उत्पादकों को गम्भीर क्षति होने का आरोप लगाया है। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की प्रथम अनुसूची के उपशीर्ष संख्या 2905.32 और भारतीय व्यापार वर्गीकरण (आईटीसी) के 29053200 अधीन प्रोपाइलिन ग्लाइकोल को वर्गीकृत किया गया है जो कि एक केमिकल है और प्रोपाइलिन आक्साइड से उच्चतर दबाव एवं तापमान पर हाइड्रेटिंग द्वारा विनिर्मित होता है जिससे एक मिश्रण मोनो, डाई और ट्रिप्रोपाइलिन ग्लाइकोल बनता है। मोनोप्रोपाइलिन ग्लाइकोल, जिसे साधरणतया: प्रोपाइलिन ग्लाइकोल के रूप में जाना जाता है, को इस मिश्रण से फ्रेक्शनेशन और डिस्टिलेशन द्वारा अलग किया जाता है। प्रोपाइलिन ग्लाइकोल फार्माकोपिकल श्रेणी और औद्योगिक श्रेणी में उपलब्ध है जो कि क्रमश: औषधि, फूड एवं फ्लेवर उद्योग और औद्योगिक प्रयोग में काम आती है। दोनों श्रेणियाँ अपनी रचना और विशेषताओं में समान हैं। पूरे विश्व में यूएसपी/बीपी/आईपी के अनुसार फार्मास्युटिकल श्रेणी उत्पाद भारत में फूड/फ्लेवर उद्योग में प्रयोग में आते हैं। तथापि फार्माकोपिक ल श्रेणी उत्पाद को केवल वैध औषधि लाइसेन्स धारक को बेचा जा सकता है। एक नई श्रेणी जिसे फूड एंड फ्लेवर ग्रेड कहा जाता है, भारत में घरेलू उत्पादकों द्वारा सृजित की गयी है जोकि पूर्णतया आई पी श्रेणी की तरह की है लेकिन इसे बिना ड्रग लाइसेंस के बेचा जा सकता है।

4. वर्धित आयात :— भारत में प्रोपाइलिन ग्लाइकोल का आयात जर्मनी, जापान, गणराज्य कोरिया, मैक्सिको, सिंगापुर, यू. एस. ए और हांगकांग से होता है। आयात वास्तविक रूप से तथा घरेलू उत्पादन की तुलना में भी वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाते हैं। वर्ष 1994-95 से 1997-98 (अप्रैल-अगस्त) के दौरान प्रोपाइलिन ग्लाइकोल का आयात और घरेलू उत्पादन निम्न प्रकार है :—

वर्ष	घरेलू उत्पादन मी. टन	आयात मी. टन	घरेलू उत्पादन का आयात प्रतिशत
1994-95	1939	395	397
1995-96	10006	783	7.82
1996-97	9943	1419	14.27
1997-98 (अप्रैल-अगस्त)	5553	854	15.38

5. क्षति :— प्रोपाइलिन ग्लाइकोल के वर्धित आयात से प्रोपाइलिन ग्लाइकोल के घरेलू उत्पादकों को गम्भीर क्षति होने की संभावना है जैसाकि निम्नलिखित तथ्यों द्वारा दर्शाया गया है।

पिछले वर्षों में घरेलू उत्पादन लगभग 9900 मी. टन और क्षमता उपयोगिता लगभग 75% पर स्थिर रही। यद्यपि वर्ष 1997-98 (अप्रैल-अगस्त में) 5553 मी. टन के उत्पादन के साथ क्षमता उपयोगिता में 101/तक का सुधार हुआ। किन्तु अंतशेष स्टाक वर्ष 1996-97 में 207 मी. टन से बहुत बढ़कर 1137 मी. टन तक पहुंच गया। घरेलू उत्पादक वर्ष 1994-95 में 11306 मी. टन, 1995-96 में 10259 मी. टन और 1996-97 में 10183 मी. टन की बिक्री की तुलना में वर्ष 1997-98 (अप्रैल-अगस्त) में 4624 मी. टन की बिक्री कर सकने में समर्थ हुए, लेकिन इसके लिए औसत बिक्री मूल्य में भारी कमी करनी पड़ी जो कि 74896 रु. मी. टन से 63060 रु. मी. टन तक कम हो गई। यानि कि 1996-97 के औसत बिक्री मूल्य में लगभग 15.8% कमी हुई। घरेलू उत्पादकों को नकद घाटा होना शुरू हो गया।

1994-95 से 1997-98 (अप्रैल-अगस्त) के लिए प्रोपाइलिन ग्लाइकोल की घरेलू उत्पादकों की क्षमता, क्षमता उपयोगिता, उत्पादन बिक्री अंतशेष स्टाक और औसत सीमा मूल्य को नीचे सारणी में दर्शाया गया है :—

वर्ष	स्थापित क्षमता	क्षमता उपयोगिता	उत्पादन मी. टन	बिक्री मी. टन	अंतशेष स्टाक	औसत बिक्री मूल्य मी. टन
1994-95	13250	75	9939	11306	701	61501
1995-96	13250	76	10006	10259	447	80658
1996-97	13250	75	9943	10183	207	74896
1997-98	5521	101	5553	4624	1137	63060

6. घरेलू उत्पादकों ने प्रोपाइलिन ग्लाइकोल के आयात पर दो वर्ष की अवधि के लिए रक्षोपाय शुल्क लगाने की प्रार्थना की है। उन्होंने तत्काल से अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए भी अनुरोध किया है।

7. आवेदन का परीक्षण किया गया है और प्रथम दृष्टि में यह पाया गया है कि प्रोपाइलिन ग्लाइकोल के आयात से प्रोपाइलिन ग्लाइकोल के घरेलू उत्पादकों को गम्भीर क्षति होने की आशंका है तदनुसार इस नोटिस के माध्यम से जांच शुरु करने का निर्णय लिया गया है।

8. सभी इच्छुक पक्ष अपने दृष्टिकोणों से 13 अप्रैल, 1998 तक अधोहस्ताक्षरी को अवगत करा दें।

महानिदेशक (रक्षोपाय)

5वीं मंजिल "डी" ब्लॉक,

इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट,

नयी दिल्ली-110002

भारत

9. सभी ज्ञात इच्छुक पक्षों को अलग से सूचित किया जा रहा है।

10. जांच के लिए कोई अन्य पक्ष जो कि इच्छुक पक्ष के रूप में समझे जाने के लिए इच्छुक हो, अपना आवेदन इस नोटिस की तिथि के 21 दिन के अन्दर महानिदेशक (रक्षोपाय) के पास भेज दें।

[सं. रक्षोपाय/जांच/5/1997]

आर. के. गुप्ता, महानिदेशक

OFFICE OF DIRECTOR GENERAL (SAFEGUARDS)

NOTICE

New Delhi, the 26th February, 1998

Initiation of Safeguard Investigation

(Under Rule 6 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) rules, 1997)

Subject : Initiation of Safeguard Investigation concerning imports of Propylene Glycol into India.

G.S.R. 108 (E).— An application has been filed before me under Rule 5 of the Customs Tariff (Identification and Assesment of Safeguard Duty) Rules, 1997 by M/s Manali Petrochemicals Ltd., Chennai and M/s SPIC Organics Ltd., Chennai for imposition of Safeguard Duty on imports of Propylene Glycol into India to protect the domestic producers of Propylene glycol against serious injury caused by the increased imports of Propylene Glycol into India.

2. Domestic Industry: The application has been filed by M/s Manali Petrochemicals Ltd., Chennai and M/s SPIC Organics Ltd., Chennai who are the only domestic producers of Propylene Glycol accounting for the total domestic production of Propylene Glycol.

3. Product Involved: The applicants have alleged serious injury caused to the domestic producers by the increased imports of Propylene Glycol into India. Propylene Glycol classified under sub-heading no. 2905.32 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975, and under 29053200 of the Indian Trade Classification (ITC) is a chemical manufactured from Propylene oxide by hydrating the product at a higher pressure and temperature which forms a mixture or Mono, Di and Tripropylene Glycol. Monopropylene Glycol, generally known as Propylene Glycol is separated from this mixture by fractionation and distillation. Propylene Glycol is available in Pharmacopial grade and Industrial grade which are used in the manufacture of drugs, in food and flavour industry and industrial applications respectively. The two grades are similar in their composition and characteristics. Worldover pharmaceutical grade product conferring to USP/BP/IP is used for application in food / flavour industry. In India, however, pharmacopial grade product can be sold only to a valid drug licence holder. A new grade called Food and Flavour grade has been created by the domestic producers in India which is exactly the same as IP grade but sold to people without drug licence.

4. Increased Imports: Propylene Glycol is imported into India from Germany, Japan, RO Korea, Mexico, Singapore, USA and Hongkong. The imports have shown an increasing trend in absolute terms as well as compared to domestic production. The imports and domestic production of Propylene Glycol during 1994-95 to 1997-98 (April-August) have been as under:

Year	Domestic Production (MT)	Imports (MT)	Imports as percentage of domestic production
1994-95	9939	395	3.97
1995-96	10006	783	7.82
1996-97	9943	1419	14.27
1997-98 (April-August)	5553	854	15.38

5. Injury: The increased imports of Propylene Glycol have threatened to cause serious injury to the domestic producers of Propylene Glycol as indicated by the following factors.

The domestic production is stagnating at around 9900 MT in the last three years with the capacity utilisation also stagnating at around 75%. In the year 1997-98 (April-August) although the capacity utilisation has improved to 101% with a production of 5553 MT, the closing stock has increased significantly to 1137 MT from 207 MT in 1996-97. The domestic producers have been able to achieve a sale of 4624 MT in the year 1997-98 (April-August) as compared to 11306 MT in 1994-95, 10259 MT in 1995-96 and 10183 MT in 1996-97, but at the cost of a drastic reduction in the average selling price which has been reduced from Rs. 74896 per MT to Rs. 63060 per MT, a fall of about 15.8 % (of the 1996-97 average selling price). The domestic producers have started incurring cash losses.

The table below shows capacity, capacity utilisation, production, sales, closing stock and average selling price of Propylene Glycol for 1994-95 to 1997-98 (April to August).

Year	Installed capacity (MT)	Capacity utilisation (%)	Production (MT)	Sales (MT)	Closing stock (MT)	Average selling price (MT)
1994-95	13250	75	9939	11306	701	61501
1995-96	13250	76	10006	10259	447	80658
1996-97	13250	75	9943	10183	207	74896
1997-98	5521	101	5553	4624	1137	63060

Large capacity plants have also been set up closer to India who have availability of raw materials to them at prices much lower than in India.

6. The domestic producers have requested for imposition of Safeguard Duty on imports of Propylene Glycol for a period of two years. They have also requested for an immediate imposition of provisional Safeguard Duty.

7. The application has been examined and it is found that prima facie increased imports of Propylene Glycol have threatened to cause serious injury to the domestic producers of Propylene Glycol and accordingly it has been decided to initiate an investigation through this notice.

8. All interested parties may make their views known by 13th April, 1998.

The Director General (Safeguards)
5th floor, D-Block,
Indraprastha Bhawan, I.P. Estate,
New Delhi-110002
INDIA.

9. All known interested parties are also being addressed separately.

10. Any other party to the investigation who wishes to be considered as an interested party may submit its request so as to reach the Director General (Safeguards) within 21 days from the date of this notice.

[No. SG/INV/5/1997]

R.K.GUPTA, Director General

607 GI/98.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998.